

2980
11/8/09

राजस्थान – सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता , रामगंजमण्डी

कमाक : खअ: राम/सी.सी.1/एम.एल. 51 (87) 09/

दिनांक :-

कार्यालय आदेश

खनन पट्टा खनिज लाईम स्टोन (बि. स्टोन) क्षेत्र 90,000 व.मी. (9हैक्टर) निकट ग्राम जूलमी तह. रामगंजमण्डी जिला कोटा में अवधि दिनांक 26.08.1989 से 25.08.2009 तक वर्तमान में स्थिरभाटक रू. 1,48,176/- वार्षिक पर श्री अब्दूल हमीद पुत्र श्री हाजी सूल्तान अहमद निवासी खेराबाद के पक्ष में स्वीकृत होकर प्रभावशील है।

खनन पट्टाधारी श्री अब्दूल हमीद पुत्र श्री हाजी सूल्तान अहमद निवासी खेराबाद द्वारा स्वीकृत क्षेत्र 90,000 व0मी0(9 हैक्टर) में से दो ब्लाक में क्रमशः ब्लाक (ए)19500व0मी0 व ब्लाक (बी) 29,223.3417 व0 मी0 कुल 48,723.3417व0मी0 क्षेत्र को सरेन्डर कराने हेतु एंव 41276.6583 व0मी0 क्षेत्र का रिटेन एरिया के रूप में रखने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 3/03/09 से निवेदन किया ,पार्ट सरेन्डर प्रार्थना पत्र पर उचित निर्णय लेने हेतु प्रस्ताव अधिक्षण खनि अभियन्ता कोटा को पत्रावली कि सम्पूर्ण स्थिती दर्शाते हुए पत्र सं. 2175 दिनांक 21/07/09 से भिजवाये गये, अधिक्षण खनि अभियन्ता कोटा वृत कोटा द्वारा पृष्ठांकन आदेश संख्या अ.ख.अ./कोटा/प-97 (87) 2569 दिनांक 23/07/2009 से क्षेत्र ब्लाक (ए)19500व0मी0 व ब्लाक (बी) 29,223.3417 व0 मी0 कुल 48,723.3417 व0मी0 क्षेत्र का आंशिक अर्घ्यपण दिनांक 3.3.2009 से स्वीकार किया गया।

अतः राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 75 के तहत रखे गये क्षेत्र 41276.6583 व0मी0 का वार्षिक स्थिरभाटक रू. 1,48,176/- के स्थान पर रू. 67,958/- निर्धारित किया जाता है जो दिनांक 03/03/2009 से लागू होगा।

14211
11/8/09

82
खनि अभियन्ता , रामगंजमण्डी

कमांक संख्या / सम / 09 / 38

दिनांक :- 24.7.09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है।

1. श्री मान अधिक्षण खनि अभियन्ता , खान एंव भूविज्ञान विभाग कोटा वृत कोटा के पत्र सं. 2569 दिनांक 23/07/09 की पालना में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है।
2. मांग लिपिक हाजा को भेजकर निर्देश दिये जाते हैं उपरोक्तानुसार निर्धारण कर अग्रिम कार्यावाही करे यदि कोई त्रुटि हो तो इस शाखा को अवगत करावे।
4. सगणक शाखा 5. अधिशूल्क निर्धारण शाखा 6. भूमि कर लिपिक 7. मानचित्रकार हाजा को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार रखे गये क्षेत्र 41276.6583 व0मी0 का प्लान तीन दिवस में प्रस्तुत करे ताकि पूरक संविदा कि कार्यवाही कि जा सके।
8. व.खनि कार्य देशक श्री राजाराम को भेजकर निर्देश दिये जाते हैं कि छोडे गये क्षेत्र क्रमशः ब्लाक (ए)19500व0मी0 व ब्लाक(बी) 29,223.3417 व0मी0 कुल 48,723.3417व0मी0 का कब्जा राजपक्ष में आज ही लेकर रिपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत करे।
9. खनन पट्टाधारी श्री अब्दूल हमीद पुत्र श्री हाजी सूल्तान अहमद निवासी खेराबाद को भेजकर लेख है कि पार्ट सरेन्डर पूरक संविदा हेतु रूपये 100/-का स्टाम्प प्रस्तुत कर पूरक संविदा सम्पादित करावें।
10. श्रीमान निदेशक महोदय खान एंव भू विज्ञान विभाग उदयपुर को डी.एम.जी.ओ.एम.एस. के अर्न्तगत डाटा फिड करने हेतु प्रेषित है।
11. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल , इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल एरिया कोटा। 12. तहसीलदार रामगंजमण्डी।

78

11/8/09

खनि अभियन्ता , रामगंजमण्डी